



OTT प्लेटफॉर्मस

प्रलिस के लयः

OTT प्लेटफॉर्म, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दशानरिदेश और डजिटल मीडया नैतकता संहता) नयम 2021

मेन्स के लयः

OTT प्लेटफॉर्मस का बढता महत्त्व और इसके नहितारथ ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में SBI रसिर्च द्वारा एक रपौरट जारी की गई, जसमें कहा गया कओवर द टॉप (Over The Top- OTT) बाज़ार वर्ष 2023 तक 12,000 करोड़ रुपए का उद्योग बनने के लयि तैयार है, जो वर्ष 2018 में 2,590 करोड़ रुपए था ।

प्रमुख बढि

■ संबंधति आँकड़े:

- OTT बाज़ार वर्ष 2018 में 2,590 करोड़ रुपए से बढकर वर्ष 2023 तक 36% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के साथ 11,944 करोड़ रुपए तक पहुँचने की उम्मीद है ।
- OTT ने पहले ही मनोरंजन उद्योग की हसिसेदारी और राजस्व का 7-9% हसिसा रखता है, और लगातार 40 से अधिक अभकिर्त्ताओं के साथ लगातार बढ रहा है और सभी भाषाओं में मूल मीडया सामग्री प्रस्तुत कर रहा है ।
- देश में आज 45 करोड़ से अधिक OTT ग्राहक हैं और इसके वर्ष 2023 के अंत तक 50 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है ।
- पे-पर-व्यू सेगमेंट (टेलीवजिन देखने की प्रणाली जसमें लोग अपने द्वारा देखे जाने वाले वशिष कार्यक्रमों के लयि भुगतान करते हैं) वर्ष 2018 में 3.5 करोड़ रुपए था और वर्ष 2022 में 8.9 करोड़ रुपए और 2027 में 11.7 करोड़ रुपए तक छूने की राह पर है ।
 - इस अवर्धा के दौरान वीडयो डाउनलोड क्रमशः 4.2 करोड़ और 7.7 करोड़, 8.6 करोड़, जबकि वीडयो स्ट्रीमिंग क्रमशः 1.9 करोड़, 6.8 करोड़ और 10.8 करोड़ होने की उम्मीद है ।

■ वृद्धि के कारण:

- यह मज़बूत वृद्धि ससुती हाई-स्पीड मोबाइल इंटरनेट, इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के दोगुने होने, डजिटल भुगतानों को अपनाने में वृद्धि और वैश्विक अभकिर्त्ताओं द्वारा दी जाने वाली रयायती कीमतों के कारण है ।
- कोवडि के कारण लॉकडाउन जसिने सनिमाघरों को पूरी तरह से बंद कर दया ।

■ नहितारथ:

- इससे वीडयो कैसेट रकिॉर्डर/ वीडयो कैसेट प्लेयरस/ डजिटल वीडयो डसिक (VCR/VCP/DVD) उद्योगों के अप्रचलति होने की पुनरावृत्ति हो सकती है, जो 1980 के दशक में मेट्रो/शहरी क्षेत्त्रों में तथा 2000 के दशक की शुरुआत सेमल्टीप्लेक्स/सनिमाघरों की संख्या बढने के साथ तेज़ी से बढा ।
 - 1980 के दशक में VCR/VCP के प्रचलन में वृद्धि देखी गई, जसिने पहली बार फलिम देखने के पारंपरिक तरीकों को चुनौती दी ।
- OTT के बढने से सनिमाघरों के लाभ पर प्रभाव पडने की आशंका है क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग महीने में 5 घंटे से ज़्यादा OTT का इस्तेमाल करते हैं ।
- यह उम्मीद की जाती है क शकिषा, स्वास्थय और फटिनेस में OTT प्लेटफॉर्म के वसितार से इसके भवषिय को भी मज़बूती मलिंगी ।
- इसने सामग्री नरिमाताओं के लयि नए मार्ग खोल दये हैं, और दर्शकों के लयि यहकेवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर जागरूक होने का माध्यम भी बन गया है ।

ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म:

- प्रायः ओटीटी (OTT) या ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म का प्रयोग ऑडयो और वीडयो होस्टिंग तथा स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता के रूप में कया जाता है,

जनिकी शुरुआत तो असल में कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी, कति वर्तमान में ये स्वयं हीर्शॉर्ट फलिम, फीचर फलिम, वृत्तचित्रों और वेब-फलिम का नरिमाण कर रहे हैं।

- ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्त्ताओं को व्यापक कंटेंट प्रदान करने साथ-साथ कृत्रमि बुद्धमिता (AI) का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कंटेंट के संबंध में सुझाव भी प्रदान करते हैं।
- अधिकांश OTT प्लेटफॉर्म आम तौर पर कुछ सामग्री नःशुल्क उपलब्ध कराते हैं और प्रीमियम सामग्री के लिये मासकि सदस्यता शुल्क लेते हैं जो आमतौर पर कहीं और उपलब्ध नहीं होता है।
- प्रीमियम सामग्री का आमतौर पर OTT प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं नरिमाण और वपिणन कथिा जाता है, प्रोडक्शन हाउस के सहयोग से इन्होंने कई फीचर फलिमों का नरिमाण कथिा है।
- उदाहरणः नेटफ्लिक्स, डज़िनी+, हुलु, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो, हुलु, पीकॉक, कयूरयोसिटी स्ट्रीम, प्लूटो टीवी आदि।

OTT प्लेटफार्मों को वनियमति करने वाले कानूनः

- सरकार ने OTT प्लेटफार्मों को वनियमति करने के लिये फरवरी 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दशानरिदेश और डजिटल मीडिया नैतकिता संहति) नयिम वर्ष 2021 को अधिसूचति कथिा था।
- यह नयिम OTT प्लेटफॉर्म के लिये आचार संहति और त्रःस्तरीय शकियात नविरण तंत्र के साथ एक सॉफ्ट-टच स्व-नयिमक आर्कटिकचर स्थापति करते हैं।
 - प्रत्येक प्रकाशक को 15 दनों के भीतर शकियातें प्राप्त करने और उनके नविरण के लिये भारत में स्थति एकशकियात अधिकारी नयिक्त करना चाहिये।
 - साथ ही, प्रत्येक प्रकाशक को एक स्व-नयिमक नकिया का सदस्य बनने की आवश्यकता है। ऐसे नकिया को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंजीकरण कराना होगा और उन शकियातों का समाधान करना होगा जनिका समाधान प्रकाशक द्वारा 15 दनों के भीतर नहीं कथिा गया है।
 - सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठति अंतर-वभिगीय समति त्रःस्तरीय नगिरानी तंत्र का गठन करती है।
- यह कानून केंद्रीय फलिम प्रमाणन बोर्ड की भागीदारी के बिना सामग्री के स्व-वर्गीकरण का प्रावधान करते हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न. COVID-19 महामारी ने पूरे वशिव में अभूतपूर्व तबाही मचाई है। हालाँकि, संकट से उभरने के लिये तकनीकी प्रगतिका लाभ उठाया जा रहा है। महामारी के प्रबंधन में सहायता के लिये प्रौद्योगिकी की क्या ज़रुरत पड़ी, इसका वविरण दीजिये। (2020)

[स्रोतः इकॉनोमिक टाइम्स](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ott-platforms-1>